पिछले दो वर्षों के दौरान प्रमुख उपलब्धियां

(मई, 2019 - मई, 2021)

संसदीय कार्य मंत्रालय

पिछले दो वर्षों के दौरान संसदीय कार्य मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां (मई, 2019 - मई, 2021)

1. विधायी उपलब्धियां

- ✓ लोक सभा की बैठकों की संख्या : 114

- ✓ राज्य सभा की बैठकों की संख्या : 111

- ✓ पुर:स्थापित किए गए विधेयक:-
  - लोक सभा : 102
  - राज्य सभा : 17

- ✓ पारित किए गए विधेयक:-
  - लोक सभा : 107
  - राज्य सभा : 104

- ✓ संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयक जो अधिनियम बने : 102

  (प्रतिवेदित अवधि के दौरान दोनों सदनों द्वारा 14वीं, 15वीं और 16वीं लोक सभा की सदृश अवधि के दौरान पारित किए गए विधेयकों से क्रमश: लगभग 27%, 33% और 41% अधिक विधेयक पारित किए गए।)

- ✓ इस अवधि के दौरान 33 अध्यादेश प्रख्यापित किए गए थे जिनमें से 28 अध्यादेशों को संसद के अधिनियमों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

- ✓ राज्य सभा में पूर्ण बहुमत न होने के बावजूद विभिन्न राजनीतिक दलों और संसद सदस्यों के साथ बेहतर समन्वय द्वारा सर्वसम्मति के माध्यम से कई महत्वपूर्ण विधान पारित किए गए।

ऐतिहासिक पहला सत्र

- ✓ 17वीं लोक सभा का पहला सत्र ऐतिहासिक था क्योंकि इस सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा 30 विधेयक पारित किए गए जो किसी नई लोक सभा के गठन के पश्चात अकेले पहले/प्रभावी सत्र में एक रिकार्ड है।

- ✓ जम्मू और कश्मीर में समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 370 और उसके तहत राष्ट्रपति के आदेशों के कुछ उपबंधों का, विशेषकर भारत के संविधान के सभी उपबंधों और सभी सामाजिक-आर्थिक विधानों की अनुप्रयोज्यता के प्रत्यावर्तन के साथ निराकरण किया गया और इस प्रकार एक राष्ट्र – एक संविधान को सुनिश्चित किया गया।

महामारी के दौरान संसद सत्र

- ✓ अनुच्छेद 85 की संवैधानिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए तथा आवश्यक विधायी और अन्य कार्य का निष्पादन करने के लिए, मानसून सत्र, 2020 और बजट सत्र, 2021 बैठने संबंधी और लॉजिस्टिक्स संबंधी असाधारण व्यवस्था करके तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सभी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए कोविड-19 महामारी के दौरान आयोजित किए गए। लोक सभा द्वारा अपनी बैठकों के लिए लोक सभा कक्ष, लोक सभा दर्शक दीर्घा, राज्य सभा कक्ष और राज्य सभा दर्शक दीर्घा का उपयोग किया गया जबकि राज्य सभा द्वारा अपनी बैठकों के लिए राज्य सभा कक्ष, राज्य सभा दर्शक दीर्घा और लोक सभा कक्ष का इस्तेमाल किया गया। लोक सभा की बैठकें 14 सितंबर, 2020 को छोड़कर रोजाना दोपहर 3.00 बजे से 7.00 बजे (यदि आवश्यक हो, विस्तारित समय सहित) तक होती थीं। 14 सितंबर, 2020 को लोक सभा की बैठक सुबह 9.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक हुई थी। राज्य सभा की बैठकें 14 सितंबर, 2020 को छोड़कर रोजाना सुबह 9.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे (यदि आवश्यक हो, विस्तारित समय सहित) तक होती थीं। 14 सितंबर, 2020 को राज्य सभा की बैठक दोपहर 3.00 बजे से 7.00 बजे तक हुई थी।

2. केंद्रीय कक्ष में समारोह

- ✓ संविधान को अंगीकार करने की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संसद के केंद्रीय कक्ष में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा समवेत रूप से 26 नवंबर, 2019 को एक विशेष समारोह आयोजित किया गया।

3. युवा संसद प्रतियोगिताएं

- ✓ इस कार्यक्रम के भावी प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करने के लिए राज्य सभा टीवी की मदद से युवा संसद पर वीडियो टुटोरियल तैयार किया गया।

- ✓ युवा संसद (ऑफलाइन) :

  शामिल की गई संस्थाओं की संख्या – 271
  विद्यार्थियों की प्रतिभागिता – 14,200

- ✓ युवा संसद कार्यक्रम के दायरे को अब तक अनछुए वर्गों और देश के कौने-कौने तक विस्तारित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल आधारित राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम पर विचार किया गया।

- ✓ पोर्टल का शुभारंभ 26 नवंबर, 2019 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में माननीय उप-राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय लोक सभा अध्यक्ष और माननीय संसदीय कार्य मंत्री एवं संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की गरिमामय उपस्थिति में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा किया गया।

- ✓ राष्ट्रीय युवा संसद योजना के पोर्टल पर अभी तक देशभर की विभिन्न संस्थाओं से 7,950 पंजीकरण प्राप्त हुए हैं और जिनमें से अभी तक 2,834 पंजीकरण अनुमोदित किए जा चुके हैं।

4. राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा)

- ✓ नेवा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक मिशन मोड परियोजना है जिसका उद्देश्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के कामकाज को कागज-रहित बनाना है।

- ✓ नेवा की सार्वजनिक वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन दोनों विकसित की जा चुकी हैं और यह प्लेटफार्म राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के विधानमंडलों में कार्यान्वित किए जाने के लिए तैयार है।

- ✓ केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू) राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन के हितधारकों के क्षमता निर्माण के लिए 50 कार्यशालाएं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संचालित कर चुकी है।

- ✓ बिहार विधान परिषद जुलाई, 2019 में मानसून सत्र के दौरान ऑनलाइन प्रश्न स्वीकार करने वाला देश का पहला सदन बन गया था।

- ✓ विधानमंडलों के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम अरूणाचल प्रदेश विधानसभा और बिहार विधान परिषद में भी संचालित किए गए हैं।

- ✓ नेवा के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर 16 राज्यों (17 सदन) के साथ हस्ताक्षर किए जा चुके हैं जिनमें बिहार (विधानसभा और विधान परिषद दोनों), पंजाब, ओडिशा, मेघालय, मणिपुर, गुजरात, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, सिक्किम, पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और हरियाणा शामिल है।

- ✓ नेवा परियोजना की मंजूरी के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 8 राज्यों (9 सदन) द्वारा प्रस्तुत की गई है जिनमें से पहले 7 राज्यों (8 सदन) को अपने-अपने राज्य में नेवा के कार्यान्वयन के लिए पहली किस्त का भुगतान भी किया जा चुका है।

5. परामर्शदात्री समितियां

- ✓ गठित की गई परामर्शदात्री समितियां : 38

- ✓ आयोजित की गई बैठकें : 61

6. प्रशिक्षण/कार्यशालाएं

- ✓ संसदीय सौध, नई दिल्ली में 17 जुलाई, 2019 को सहायक सचिवों (2017 बैच के नए आई.ए.एस. अधिकारी) के लाभार्थ संसदीय प्रक्रिया और पद्धति पर एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।

- ✓ अणुशक्ति भवन, मुंबई में दिनांक 04.08.2019 को परमाणु ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लाभार्थ संसदीय प्रक्रिया और पद्धति पर एक कार्यशाला आयोजित की गई।

7. आश्वासन

- ✓ *निकाले गए आश्वासनों की संख्या:

लोक सभा	:1,311
राज्य सभा	: 608

- ✓ *पूरे किए गए आश्वासनों की संख्या:

लोक सभा	: 1,679
राज्य सभा	: 712

* सरकार की पूर्वसक्रियता के कारण, आश्वासनों की पूर्ति की दर प्रतिवेदित अवधि के दौरान सदन में दिए गए आश्वासनों के मुकाबले बेहतर रही है।

8. लोक सभा में नियम 377 के तहत और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामले

- ✓ मामलों की संख्या :

लोक सभा	: 1,942
राज्य सभा	: 569

- ✓ निपटाए गए मामले :

लोक सभा	: 1,664
राज्य सभा	: 400

9. शून्यकाल में उठाए गए मामले

- ✓ लोक सभा में उठाए गए मामले : 1,929 (सभी लोक सभाओं के सदृश वर्षों की तुलना में अधितम)

- ✓ राज्य सभा में उठाए गए मामले : 788

10. संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में संशोधन

कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए संसद सदस्यों के वेतन और अन्य भत्तों में 1 अप्रैल, 2020 से निम्नलिखित कटौति की गई:-

- वेतन को रू.1,00,000/- से कम करके रू.70,000/- किया गया।
- निर्वाचन क्षेत्र संबंधी भत्ते को रू.70,000/- से कम करके रू.49,000/- किया गया।
- लेखन-सामग्री संबंधी भत्ते को रू.20,000/- से कम करके रू.14,000/- किया गया।

11. प्रकाशन – निकाले गए नए संस्करण

- ✓ भारत सरकार में संसदीय प्रक्रिया की नियम पुस्तिका का अद्यतनीकरण किया गया और इसे जुलाई, 2019 के दौरान जारी किया गया।

- ✓ अगस्त, 2019 के दौरान संसदीय कार्य मंत्रालय की सांख्यिकी पुस्तिका को संशोधित किया गया।

- ✓ संसदीय कार्य मंत्रालय के कार्यचालन संबंधी पुस्तिका (हैंडबुक) का सितंबर, 2019 के दौरान अद्यतनीकरण किया गया।

***